# राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5/अभि./सीटीएडी/ सडक एवं पुलिया निर्माण/2019–20/45077-85 दि. 11-12-2019

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय– सी.सी. सडक निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग– विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 40341–16 दिनांक 01.11.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के कम में परियोजना अधिकारी,टीएडी बांसवाडा का पत्रांक 2379–80 दि. 08.11.2019 के साथ संलग्न विकास अधिकारी, पं.स. बांसवाडा से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम सं. 5 में वर्णित राशि 30.00 लाख रू. की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

(राशि लाख रू. में)

कार्यकारी एजेन्सी – ग्राम पंचायत

| क्र. स. | कार्य का नाम व स्थान | पंस. | तकनीकी स्वीकृति | | प्रथम किश्त देय राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | क्र/दि | राशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | सीसी सडक निर्माण कार्य खातु/धनजी के खेत से मांगीलाल/वालीया के खेत की ओर ग्राम सिंगपुरा ग्राम पंचायत कडेलिया | बांसवाडा | AEN/BSW/49 2019-20 | 10.00 | 8.00 |
| 2 | रपट पुलिया निर्माण कार्य नारायण/हकरिया के घर के पास ग्राम काकन सेजा ग्राम पंचायत चाचाकोटा | बांसवाडा | AEN/BSW/50 2019-20 | 10.00 | 8.00 |
| 3 | सीसी सडक निर्माण कार्य मैन रोड से हरजी/लिमजी के घर की ओर ग्राम काकन सेजा ग्राम पंचायत चाचाकोटा | बांसवाडा | AEN/BSW/51 2019-20 | 10.00 | 8.00 |
| | **योग** | | | **30.00** | **24.00** |

उपरोक्त कार्य की कुल राशि 30.00 लाख के विरूद्व **प्रथम किश्त रू. 24.00 लाख** की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या– 42/ 2019–20 दिनांक 8.11.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि रू. 525.00 लाख में से परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को देय होगी।

**कार्य का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जावे।**

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए सम्बन्धित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावें।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।

P.T.O.

6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये एवं स्वीकृति कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।
7. परियोजना अधिकारी इस कार्यालय के पत्र कमांक 20728–80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एंजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यो की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नही कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तान्तरित करेंगे।
8. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यो का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
9. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

Sd/-
(शिवांगी स्वर्णकार)IAS
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा नवीन सडक पुलिया/2019–20/45077-85 दिनांक : 11-12-2019
प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ठ सहायक, मां. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे शासन से विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–42/ 2019–20 दिनांक 8.11.2019 राशि रू. 525.00 लाख में से कॉलम सं. 5 अनुसार प्रथम किश्त रू. 24.00 लाख की राशि परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को राशि हस्तान्तरण करावें।
5. निदेशक, मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बांसवाडा जिला बांसवाडा।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर